अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)( )आई.सी.पी.एस/मुबाअ/सान्याअवि/12/ 11143 जयपुर, दिनांक 05/02/2013

आदेश

विषयः— बाल भिक्षावृति की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) का निर्धारण।

राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास के लिए **"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000"** एवं **"राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011"** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए राज्य में **समेकित बाल संरक्षण योजना** भी लागू की गई हैं, जिसके तहत राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ गठित की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2(K) के तहत बच्चे की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 2(B) में भिक्षावृति को परिभाषित करते हुये धारा 2(D)(ia) में भिक्षावृति, सड़क पर रहने वाले बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रन) एवं कामकाजी बच्चों (बाल श्रमिक) को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास एवं मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति (प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्राप्त) कार्यरत है।

राज्य के विभिन्न शहरो में बडी संख्या में 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे स्वंय के स्तर पर या अपने परिवार के साथ विभिन्न ट्रैफिक चौराहों/सडकों/सार्वजनिक स्थान/पर्यटन स्थलो पर भिक्षावृति का कार्य करते है, भिक्षावृति में स्थानीय बच्चों के अलावा अन्य राज्यों के बच्चे/परिवार भी सम्मिलित है। ट्रैफिक सिग्नलों पर हो रही भिक्षावृति में कई बार बच्चों/परिवार के साथ दुर्घटनाएं भी हुई है। भिक्षावृति से यात्रियों/पर्यटको को भी अनेक समस्याओं एवं असुविधाओं का सामना करना पडता है।

राज्य सरकार भिक्षावृति के लिप्त बच्चों के संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में भिक्षावृति की रोकथाम एवं ऐसे कार्यों में लिप्त बच्चों/परिवारों के लिए विभिन्न आश्रय गृह, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। हाल ही में जिला प्रशासन, जयपुर द्वारा भिक्षावृति के लिप्त बच्चों के संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु सराहनीय प्रयास किये गये है।

राज्य स्तर पर बाल भिक्षावृति की रोकथाम एवं वर्तमान में भिक्षावृति के लिप्त बच्चों तथा उनके परिवारों की देखरेख, संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से जोड़ने की कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्यवाही में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाना प्रस्तावित है। भिक्षावृति लिप्त बच्चों की पहचान, मुक्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु सभी सम्बन्धितों के लिये निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) निर्धारित की जाती है:-

<u>जिला बाल सरंक्षण इकाई</u>

1. भिक्षावृति एवं बाल अधिकारों के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी।
2. इकाई सक्रिय एवं इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं को भिक्षावृति लिप्त बच्चों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वास कार्य हेतु अधिकृत करते हुये कार्य दल गठित करेगी। कार्य दल में संबंधित विभागों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
3. इकाई अधिकृत गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यक्षेत्र आवंटित करते हुये सतत् अभियान चलायेगी। अभियान संचालन में आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
4. समिति के आदेश से भिक्षावृति लिप्त बच्चों हेतु बाल गृहों के माध्यम से तुरन्त भोजन, कपड़े एवं अल्पकालीन आवास की व्यवस्था की जायेगी।
5. बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं हो/सड़क पर रहने वाले बच्चों को पंजिकृत राजकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह के जरिये देखरेख सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
6. त्रैमासिक स्तर पर सभी सम्बन्धितों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी तथा आगामी रणनिति तैयार की जायेगी। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को दी जायेगी।

<u>अधिकृत गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संस्था</u>

1. अधिकृत गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि विभिन्न ट्रैफिक चौराहों/सडकों/सार्वजनिक स्थान/पर्यटन स्थलो पर भिक्षावृति की रोकथाम हेतु जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्य करेंगे।
2. अधिकृत गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि विभिन्न ट्रैफिक चौराहों/सडकों/सार्वजनिक स्थान/पर्यटन स्थलो सडकों पर निश्चित अवधि के दौरान भिक्षावृति में लिप्त बच्चों/महिलाओं/व्यक्तियों/परिवारों की पहचान कर उनकी समझाईश करेंगे।
3. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के अलावा बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं हो/सड़क पर रहने वाले बच्चों को भी तत्काल बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत कर करेंगे।

4. समिति के आदेश से बच्चों को उचित पुर्नवास हेतु निर्धारित निश्चित स्थान पर पहुंचाया जायेगा।
5. महिलाओं/व्यक्तियों/परिवारों को उचित पुर्नवास हेतु संबंधित प्राधिकारी के सहयोग से निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जायेगा।

बाल कल्याण समिति

1. भिक्षावृति में लिप्त बच्चे/सड़क पर रहने वाले बच्चे की सूचना/शिकायत मिलने पर समिति प्रसंज्ञान लेते हुए उनको 24 घण्टे के अंदर मुक्त कराने की कार्यवाही हेतु अधिकृत स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय पुलिस को आदेशित करेगी।
2. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान चाइल्ड लाईन सेवा (1098) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
3. मुक्त कराये गये बच्चों का संरक्षण समिति अपने पास लेकर तत्काल अधिनियम के अर्न्तगत संचालित बाल गृह में प्रवेशित करायेगी।
4. बच्चों के पुर्नवास के लिए सम्बन्धित जिले की बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन एवं उनके परिजनों से समन्वय स्थापित कर पुर्नवास कार्यवाही की जायेगी। आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकेगा।
5. समिति प्रकरण में आवश्यकतानुसार सम्बन्धितों के विरूद्व विभिन्न अधिनियमों एवं आई.पी.सी. की धाराओं में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित करेगी।
6. समिति द्वारा भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति खराब पाये जाने पर उनकी सूची तैयार कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला प्रशासन को उपलब्ध करायेगी।
7. समिति नियमानुसार मामले की जॉच एवं निस्तारण हेतु बच्चों की सामाजिक पृष्टभूमि रिपोर्ट तैयार कर समुचित पुर्नवास सुनिश्चित करेगी।

पुलिस विभाग

1. जब भी अधिकृत स्वयंसेवी संस्था/जिला प्रशासन/समिति द्वारा पुलिस सहयोग की मांग की जायेगी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया जावेगा।
2. चिन्हित/मुक्त कराये गये बच्चों को अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से तत्काल सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके आदेश से अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
3. चिन्हित/मुक्त कराये गये बच्चों/व्यक्तियों/परिवारों को उनके सम्मान एवं गरिमा के साथ व्यवहार किया जायेगा।
4. ट्रैफिक पुलिस के कार्मिकों द्वारा अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को बच्चों/परिवारों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. ट्रैफिक पुलिस महत्वपूर्ण चौराहों की पहचान कर जिला प्रशासन एवं अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध करायेगी।
7. ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर भिक्षावृति की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करेगी तथा पुलिस लोगों को भीख देने से रोकेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

1. समिति द्वारा भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवारों की उपलब्ध कराई गई सूची के क्रम में उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजना से जोड़ा जायेगा।
2. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों को विभाग द्वारा राईस योजना के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों से जोड़ा जायेगा।
3. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवारों को राशन, आर्थिक मदद तथा अन्य सरकारी फायदों से जोड़ा जायेगा।
4. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवारों/महिलाओं/व्यक्तियों को सरकारी फायदों से जोड़ने हेतु आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जायेगा।
5. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवारों/महिलाओं/व्यक्तियों को रोजगारमुखी व्यवसायो से जोडने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध जायेगा।

शिक्षा विभाग

1. भिक्षावृति में लिप्त बच्चे अधिक संख्या में पाये जाते हैं वहां बच्चों को विशेष आवासीय विद्यालयों से जोड़ा जायेगा जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित किये जांयेगें।
2. बच्चों को विद्यालय में लिंग, धर्म अथवा अन्य कोई प्रमाण–पत्र की अड़चन के बिना प्रवेश देने की कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1. आवश्यकतानुसार बच्चों/परिवार के सदस्यों को तुरन्त निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. बच्चों का आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन के आदेश से मारपीट/आयु निर्धारण का चिकित्सीय परीक्षण किया जावेगा तथा सूचना सम्बन्धितों को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों/व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार नशा मुक्ति केन्द्रों से जोड़ा जायेगा।

स्थानीय निकाय

1. भिक्षावृति में लिप्त महिलाओं/व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास हेतु आश्रय की विशेष व्यवस्था करेगा एवं उनमें बिना किसी अडचन के प्रवेश एवं समस्त सुविधाओं उपलब्ध करायेगा।
2. भिक्षावृति की समस्या को ध्यान रखकर आवश्यकतानुसार अस्थाई आश्रय की व्यवस्थाएं की जायेगी।
3. ऐसे परिवारों को स्थानीय निकाय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं से जोड़ा जायेगा।

जिला प्रशासन

1. भिक्षावृति एवं बाल अधिकारों के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस संबंध में जागरूकता फैलाई जायेगी।
2. बच्चे के बाल श्रमिक के रुप में भिक्षावृति कार्य करते पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु जारी एस.ओ.पी. के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. समिति के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के क्रम में भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवार महिलाओं/व्यक्तियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनों से जोड़ा जायेगा।
4. भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के परिवार के वयस्क सदस्यों को नरेगा आदि विकास कार्यक्रमों के तहत् प्राथमिकता से कार्य उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अन्य विभागों/निकायों जैसे पंचायती राज, रेलवे, परिवहन आदि से विभिन्न सुविधाओं/व्यवस्थाओं हेतु सहायता ली जायेगी।
6. भिक्षावृति की रोकथाम अभियान की प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण एवं निगरानी सुनिश्चित की जायेगी।

सभी सम्बन्धितों द्वारा भिक्षावृति में लिप्त बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार ही की जायेगी। जिले में बाल भिक्षावृति की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगें। इसे प्राथमिकता से लागू किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांक : एफ 14(1)( )आई.सी.पी.एस/मुबाअ/सान्याअवि/12/11144-895 जयपुर, दिनांक 05/02/2013

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास/गृह/ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5 प्रमुख शासन सचिव, श्रम/विधि/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेड़कर भवन, जयपुर।
7 संभागीय आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर/ अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ उदयपुर/ कोटा।
8 समस्त जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई,..... .....को पालनार्थ।
9 निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10 उपसचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर।
11 समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) किशोर न्याय बोर्ड,..... ।
12 समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति..... ।
13 समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट.....को पालनार्थ।
14 पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर को पालनार्थ।
15 समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त,.....राजस्थान पुलिस को पालनार्थ।
16 समस्त स्थानीय निकाय अधिकारीगण.....को पालनार्थ।
17 समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई..... को पालनार्थ।
18 समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..... को पालनार्थ।
19 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....को पालनार्थ।
20 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... को पालनार्थ।
21 समस्त अध्यक्ष/सचिव, अधिकृत स्वयंसेवी संस्था.....को पालनार्थ।
22 समस्त गृह अधीक्षक/अध्यक्ष/सचिव, स्वयंसेवी संस्था.....को पालनार्थ।
23 समस्त समन्वयक, चाईल्ड लाईन..... ।
24 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी